

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE BENCH, AT BHOPAL
O.A. NO. 424 OF 2022 (PB)
O.A. NO. 104 OF 2023 (CZ)

IN THE MATTER OF:

JITENDER SINGH & ORS.

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS.

...RESPONDENTS

**STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1- STATE OF
RAJASTHAN THROUGH CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF
RAJASTHAN**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The present status report is being filed on behalf of the State of Rajasthan through Chief Secretary, Government of Rajasthan, i.e., Respondent No. 1 herein, in compliance of order dated 15.09.2023 of the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench (*hereinafter referred to as 'Ld. Tribunal'*). The Application under consideration is a letter petition complaining that a certain Mr. Bhawani Singh and Mr. Devender Singh have illegally set up dozens of textile factories in agricultural land measuring 32 Bighas comprised in Khasra No. 149/1 (4.32 Hectares) and Khasra No. 149/2 (0.80 Hectare) situated in village Bhandu Kallan, Tehsil Luni, District Jodhpur, Rajasthan owned by them respectively.
2. The Ld. Tribunal vide order dated 23.01.2023 directed the Appellate Authority to dispose of the matter titled '**Bhawani Singh Vs. RSPCB & Others Appeal No. 01/2020**' expeditiously within three months, in view of the long period of pendency of the Appeal. Thereafter, vide order dated 11.05.2023 and 15.09.2023, the status of the pending Appeals in front of the Appellate Authority, Sub-Divisional Magistrate Luni, and the High Court of Rajasthan was sought by the Ld. Tribunal, hence occasioning the present Status Report by Respondent No. 1.

शिल्पी
(शिल्पी शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., जोधपुर

3. The details of the cases pending before the Sub-Divisional Magistrate, Luni and before the Appellate Authority are annexed herewith and marked as **Annexure R1-A (Colly)**. The details of the case pending before the Hon'ble High Court is annexed herewith and marked as **Annexure R1-B**.
4. It is a matter of record that the Textile Mills in the present Application are not working and the case pending before the SDM Luni is for cancellation of Khatedari/ Khasra No.149/1 and Khasra No.149/2.
5. In light of the fact that a similar matter is sub-judice before the Hon'ble High Court of Rajasthan, it is respectfully prayed that the present Application be disposed of as being sub-judice.

**RESPONDENT NO. 1- State of Rajasthan through Chief Secretary,
Government of Rajasthan**

THROUGH


Ms. Shilpi Sharma
Regional Officer
Officer-in-Charge for Respondent No. 1
RSPCB, Rajasthan
(श्री. शिल्पी शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., जोधपुर

Place: New Delhi
Date: 06.10.2023

ANNEXURE R1-A (COLLY)

Tele : 0291 -2723225

3



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-2, M.I.A Phase-I, Basni,
Jodhpur-342005 (Rajasthan)
Email- rorpcb.jodhpur@gmail.com

RPCB/RO-Jodhpur/ Legal /NGT/OA-424/2023/ 1488

Date - 03/10/2023

Prachi Mishra
Advocate
Supreme Court (New Delhi)


Subject: - Present status of subsequent matters pending in the matter of O.A no. 424/2022 " Jitender Singh vs State of Rajasthan" before Hon'ble National Green Tribunal Central Zone Bench, Bhopal.

Respected Mam,

With respect to above cited subject & reference, it is to inform that in the matter of O.A no. 424/2022 " Jitender Singh vs State of Rajasthan " there are two separate cases related to the matter which are pending before the Appellate Authority in which last date of hearing was 18.09.2023. On 18.09.2023 the hearing in the matter was adjourned to 16.10.2023. And with respect to the other matter it is pending before the SDM Court Luni, Jodhpur which was lastly listed on 26.09.2023 and the next date of hearing is 10.10.2023.

Therefore, the above mentioned details are the present status of the matters hence can be shared with the Hon'ble NGT.

Regards,

Yours Sincerely

(Shilpi Sharma)
Regional Officer

Copy to following for information -

1. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. GIC-Legal, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.

Regional Officer

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी जोधपुर।

क्रमांक /NGT/2023/281
प्रेषित:-

दिनांक 13.3.2023

सुश्री प्राची मिश्रा
राजकीय अधिवक्ता
राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य पीठ
नई दिल्ली

विषय:-माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली में
विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र संख्या 424/2022 जितेन्द्र सिंह एवं अन्य
बनाम राजस्थान राज्य में माननीय अधिकरण आदेश दिनांक 11.05.2023
में शपथ पत्र पेश करने बाबत।

उपरोक्त विषयन्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त समिति की अनुशंषा के
सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भाण्डु कला के
खसरा नम्बर 149/1 व 149/2 के खातेदारी के निरस्तीकरण हेतु राजस्व
नियम की धारा 177 के तहत प्रकरण संख्या 34/2019 उपखण्ड न्यायालय लूणी
में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.08.2023 नियत है, उक्त
प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी लूणी के न्यायालय में विचाराधीन
प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना जिससे
हेतु पत्र के संलग्न मूल पत्रावली मय आदेशिका की प्रमाणित प्रतिया भिजवाई जा
रही है। माननीय अधिकरण आदेश दिनांक 11.05.2023 में शपथ पत्र पेश किया
जाना है आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.08.2023 नियत हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(पुखराज कंसोटिया)

उपखण्ड अधिकारी लूणी

दिनांक

क्रमांक /NGT/2023/

प्रतिलिपी सूचानर्थ :-

01.श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर।

51-
उपखण्ड अधिकारी लूणी

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 34 /2019

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी बनाम भवानीसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1)(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.05.2019	तहसीलदार लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1)(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2019 को पेश हों।	
	<p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी </p>	
	<p>22-5-19 पत्रावली पेश हुई। पिठासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक...11-6-19...को पेश हो।</p>	
	<p>11-6-19 जजोत प्राची उपखण्ड नॉटिस पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 10-7-19 को पेश हो।</p>	
	<p>10-7-19 पत्रावली पेश हुई। पिठासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक...29-7-19...को पेश हो।</p>	
	<p>29-7-19 पत्रावली पेश हुई। पिठासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक...28-8-19...को पेश हो।</p>	

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी लूणी

22.08
2

पत्रावली भेज हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 17.9.19 को पेश हो।

7.9.19

पत्रावली भेज हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 5.11.19 को पेश हो।

5-11-19

वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस पेश
होने पर जारी होकर दिनांक 22-11-19 को
पेश हो।

22-11-19

वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस पेश
होने पर जारी होकर दिनांक 20.12.19 को
पेश हो।

20.12.19

वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस पेश होकर
पर जारी होकर दिनांक 23.1.20 को पेश हो।

3-1-20

वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस पेश होने
पर जारी होकर दिनांक 14-2-20 को पेश हो।

1-2-20

वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस जारी होकर
दिनांक 26-2-20 को पेश हो।

प्रमाणिक प्रतिलिपि
इप्लान्ड अधिकारी लृण्ण

वारीख
डुसम

24



फर्द अहकाम
(नियम 26)


मुकाम

बनाम

सुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.2.20	वकील प्रार्थी अस्थित नोटिस जारी हैफ्ट दिनांक 19.3.20 को पेश हो 	
19-9-20	पत्रावली पेश हुई। पिठासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर कार्यो में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22-9-20 को पेश हो।	
22-9-20	पत्रावली पेश हुई। कोविड 19 कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इलत्वा होकर दिनांक 8-8-20 को पेश हो।	
10-8-20	पत्रावली पेश हुई। कोविड 19 कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इलत्वा होकर दिनांक 12-10-20 को पेश हो।	
12/10	पत्रावली पेश हुई। कोविड 19 कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इलत्वा होकर दिनांक 14/12 को पेश हो।	<p>प्रमाणित प्रतिलिपि</p> <p>उपरोक्त अधिकारी लगी</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
----------------	------------------------------------

14/12 वकील प्राची उपस्थित/ नोटिस जारी होकर दिनांक 5/2/2024 को पेश हो

~~5/2 वकील प्राची उपस्थित/ नोटिस जारी होकर दिनांक 24/2/2024 को पेश हो~~

26/2 वकील प्राची उपस्थित/ नोटिस जारी होकर दिनांक 28/4/2024 को पेश हो

28/4

पत्रावली पेश हुई। क्विड 19 कागना वायरस के कारण ग. ... द्वारा सम्पूर्ण गन्तस्थान में नॉकडाउन लगाया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इत्यादि होकर दिनांक 22/6/2024 को पेश हो।

22/6

पत्रावली पेश हुई। क्विड 19 कागना वायरस के कारण ग. ... द्वारा सम्पूर्ण गन्तस्थान में नॉकडाउन लगाया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इत्यादि होकर दिनांक 25/6/2024 को पेश हो।

25/6

पत्रावली पेश हुई। क्विड 19 कागना वायरस के कारण ग. ... द्वारा सम्पूर्ण गन्तस्थान में नॉकडाउन लगाया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इत्यादि होकर दिनांक 10/6/2024 को पेश हो।

18/8

पत्रावली पेश हुई। नितासीन अधिकारी अतः पत्रावली पर हे/द. ... कार्यों में धरता है। अतः पत्रावली दिनांक 11/10/2024 को पेश हो।

23/10

पत्रावली आज प्रशासनिक कार्यों के लिए अभियान 2021 में पेश हुई। प्रशासनिक कार्यों में धरता है। अतः पत्रावली दिनांक 5/11/22 को पेश हो।

प्रमाणित प्रतिलिपि
इस पत्रावली अधिकारी सुनी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं।
दोरे पर हैं। दंडार कार्यों में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली
दिनांक 10/11/22 को पेश हो।

15/03/22 पत्रावली पेश हुई। नोटिस जारी होकर
पत्रावली दिनांक 17-05-2022 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं।
दोरे पर हैं। दंडार कार्यों में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली
दिनांक 13-07-22 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं।
दोरे पर हैं। दंडार कार्यों में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली
दिनांक 14/9 को पेश हो।

14/9 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्तु
रकम 312 तलब हेतु पत्रावली दिनांक
29/11/2022 को पेश हो।

29/11 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्तु रकम 312
तलब हेतु पत्रावली दिनांक 30/11/2022
को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर
पर / दोरे पर हैं। दंडार कार्यों में व्यस्त हैं। अतः
पत्रावली दिनांक 18/11/22 को पेश हो।

18/11/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्तु
रकम 312 तलब हेतु पत्रावली दिनांक
30/11/2022 को पेश हो।

प्रमाणित प्रतिलिपि
इस अहकाम की तामील में जारी है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दुपरा

30/1/23 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 14/02/2023 को पेश हुई।

14/02

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 18/04/2023 को पेश हो।

18/4/23

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 02/05/2023 को पेश हुई।

2/5/23

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 28/6/23 को पेश हो।

28/6/23 पत्रावली पेश हुई। वास्ते इन्तजार तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 29/08/2023 को पेश हुई।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपरोक्त अधिकारी लुगी

वामें

न्यायालय सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

बनाम

1. भवानीसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डूकला तहसील लूणी
2. देवेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डूकला तहसील लूणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1)(अ) राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि ग्राम भाण्डूकला के खसरा नम्बर 149/1 रकबा 26 बीघा 14 चिस्का किस्म बारानी तृतीय भवानीसिंह पुत्र मोडसिंह एवं ग्राम भाण्डूकला के खसरा नम्बर 149/2 रकबा 3 बीघा किस्म बारानी तृतीय देवेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह निवासी भाण्डूकला के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है।
2. यह है कि सह खातेदार द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 177 (1) (अ) राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम में कार्यवाही करें।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 03.05.2019 के द्वारा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए अप्रार्थी को स्थगन आदेश से रोका जावें।
4. यह है कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिए यह भूमि सरकारी खाते में दर्ज करवाये इससे हल्के में किसी काष्ठाकार द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अकृषि कार्य नहीं किये जा सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। अप्रार्थी के भूमि को राजहित में खालसा घोषित करावें। अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हित में हो सादीर जारी करवाये तथा जब तक मामले का निर्णय नहीं हो अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करावें।

रीडर
Rā
08.05.19

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सेवामें,

न्यायालय सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी लूणी।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या।

तारीख प्रस्तुतिकरण:-

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

बनाम

भवानीसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र

मैं नारायणलाल सुथार तहसीलदार लूणी शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि

1. यह है कि उपरोक्त अनवान मुकदमें मैं प्रार्थी हूँ व प्रकरण के समस्त तथ्यों की मुझे सम्पूर्ण निजी जानकारी है।
2. यह है कि संलग्न प्रार्थना पत्र मेरे निर्देशानुसार लिखाया गया है, जिसमें वर्णित तमाम तथ्य मेरे निजी जानकारी व ज्ञान से सही है तथा कानूनी बिन्दू कानूनी सलाह से सही है। कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।
3. यह है कि संलग्न प्रार्थना पत्र को मेरे इस शपथ पत्र का भाग समझा जावे व इसी के साथ पढा जावें।

शपथकर्ता

तहसीलदार लूणी

तस्दीक:-

मैं नारायणलाल सुथार तहसीलदार लूणी आज बमुकाम जोधपुर में शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में लिखे तथ्य मेरी निजी जानकारी व ज्ञान से सही है उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित पद संख्या 1 से 3 सही है। व सत्य है इसका कोई हिस्ता गलत नहीं है ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

शपथकर्ता

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी लूणी

ANNEXURE R1-B



13

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 119/2023

Shri Bhawani Singh

----Petitioner

Versus

Member Secretary

----Respondent

For Petitioner(s)

: Mr. Vikash Balia Sr. Advocate assisted
by Mr. Kunal Bishnoi



HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR

Order

24/01/2023

Heard learned Senior Counsel for the petitioner.

Issue notice to the respondent, returnable on 30.01.2023.

Issue notice of stay application also.

Learned counsel for the petitioner is directed to supply a copy of writ petition to Mr. Sajjan Singh Rathore, learned counsel, who shall complete his instructions on or before the next date of hearing.

List the matter on 30.01.2023, as prayed.

Let the name of Mr. Sajjan Singh Rathore be shown in the cause list as learned counsel for the respondent.

(VINIT KUMAR MATHUR),J

354-/Vivek/-



RAJASTHAN HIGH COURT
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 119/2023

Shri Bhawani Singh

----Petitioner

Versus

Member Secretary

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Kunal Bishnoi

For Respondent(s) :

HON'BLE DR. JUSTICE NUPUR BHATI

Order

30/01/2023

List the matter on 03.02.2023, as prayed for.

(DR.NUPUR BHATI),J

279-nirmala/-




HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 119/2023


Shri Bhawani Singh S/o. Shri Mod Singh, aged about 62 years,
R/o. Khasra no.149/1, Village Bhandu Kalan, Tehsil Luni, District
Jodhpour through power of attorney holder Shri Devendra Singh
S/o. Shri Bhawani Singh, aged about 30 years, R/o. Village
Bhandu Kalan, Tehsil Luni, District Jodhpur.

----Petitioner

Versus

Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board,
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-
302004.

----Respondent



For Petitioner(s) : Mr. Vikas Balia, Sr. Advocate (through
VC) assisted by Mr. Kunal Bishnoi
For Respondent(s) : Mr. Sajjan Singh Rathore

HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR
Order

03/02/2023

Mr. Sajjan Singh Rathore, learned counsel for the respondent
seeks some time to file the reply to the writ petition.

Time prayed for is allowed.

List the matter on 20.02.2023.

Meanwhile and till the next date of hearing, the respondent
shall not recover the amount due from the petitioner in pursuance
of the notice dated 04.07.2019 (Annexure-6).

The respondent will be at liberty to file an appropriate
application for vacation of the interim order.

(VINIT KUMAR MATHUR),J

142-SunilS/-